

NEWS LETTER

Month - March 2021



Empowering Women



MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Court Based Legal Services Mediation

Online Dispute Resolution

“Community Mediation Training”

“Online Mediation Training of volunteers “Brahmin Community” (16.03.2021-27.03.2021)

Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLISA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Brahmin Community from **07 districts viz. Jabalpur, Seoni, Gwalior, Anuppur, Umaria, Shajapur and Rajgarh** concluded on 27.03.2021.

Mediation a very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA & Mr. Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource person Ms. Neena Khare, Shri Shahid Mohd. and Dr. O.P. Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur also shared their valuable inputs. During the session Law intern students were also imparted basic mediation orientation skills.

The valedictory session was attended by the Secretaries of DLSA who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up

TheHitavadaJabalpur City Line | 2021-03-28 | Page- 1
ehitavada.com

MPSLSA holds online mediation programme for Brahmin Samaj

■ Legal correspondent

ONLINE Community Mediation Programme was taken up for 20 hours under the aegis of Madhya Pradesh State Legal Service Authority (MPSLSA) with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Brahmin Samaj from 7 districts, including Jabalpur, Seoni, Gwalior, Anuppur, Umaria, Shajapur and Rajgarh, which concluded on Saturday.

Mediation is a very important alternate dispute resolution mechanism which was earlier confined to the offices of the legal service institutions which will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby



Senior office-bearers of MPSLSA during the mediation programme.

settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at a proper formula. The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training (Contd on page 2)

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.

MP SLISA also earlier imparted community mediation training to **Nema, Gond, Jain, Kayasth, Yadav, Pasi, Muslim, Meena, Kshatriya and Bangali** Communities.

The programme concluded with the singing of the National Anthem.



Online Training to Members of Brahmin Community

Mediation Awareness Programme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 13.03.2021 को एक्शन प्लान ऑन मीडिएशन-2021 अंतर्गत मीडिएशन मॉनीटरिंग कमेटी बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम से लगभग 15 महिलाएँ एवं 45 पुरुष लाभान्वित हुये।



Glimpses of Mediation Awareness Programme



DLSA SHIVPURI



DLSA MANDLA



DLSA PANNA



DLSA DEWAS



DLSA JABALPUR



Lok Adalat Programmes

Permanent and Continuous Lok Adalat through hybrid mode was scheduled on 27.03.21 at the High Court and District Court level.

Disposal at Dist. Court Level (Tentative)

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
2528	966	35614661	1078

Glimpses of Monthly Lok Adalat



Preparation & Awareness of National Lok Adalat

Reaching out to our Jail Inmates

दिनांक 24 मार्च, 2021 को 07 केन्द्रीय जेलों में आयोजित विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में केन्द्रीय जेल जबलपुर में दिनांक 24.03.2021 को प्रातः 9:30 बजे विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली केन्द्रीय जेल भोपाल, सतना, रीवा, होशंगाबाद, सागर एवं नरसिंहपुर को शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम हेतु वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। इन जेलों में मेडिकल कॉलेज/स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम के द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसी प्रकार दिनांक 26.03.2021 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली जिला जेलों में भी विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया। उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजन के साथ-साथ इन जेलों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित कैदियों के लिए नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाकर उनके प्रकरण की यथास्थिति से बंदियों को अवगत कराया गया, इसके साथ ही बंदियों को आवश्यक विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर के क्षेत्राधिकार में आने वाली केन्द्रीय जेलों में शिविर के दौरान लगभग 33 बंदियों को विधिक सहायता एवं 1449 बंदियों को विधिक सलाह प्रदान की गई तथा 104 चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बंदियों में से 135 एच.आई.वी. पीडित, 17 कैंसर पीडित एवं 70 टी. वी. पीडितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उक्त शिविर के दौरान कई बंदियों को कोरोना वैक्सीन का टीका भी लगाया गया। इस प्रकार कुल 4377 बंदियों (4062 पुरुष एवं 315 महिला) का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 54 बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में किया गया।



Glimpses of Camp



CENTRAL JAIL BHOPAL



CENTRAL JAIL HOSHANGABAD



CENTRAL JAIL SATNA



CENTRAL JAIL REWA



CENTRAL JAIL SAGAR



CENTRAL JAIL NARSINGHPUR

Media Coverage

जबलपुर (नईदिल्ली प्रतिनिधि)
 प्रदेश के सभी केंद्रीय जेलों में बुधवार को एक साथ हेतुस्थ कैद को आज़ाद हुआ। नेवाड़ी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय कारागार में 71 बर्बितों को कोविड-10 कैसाइन का परबला डोज लगाया गया। वहाँ अन् जेलों में भी टीका लगाया जा रहा है।
 हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने जस्टिस अनुल शीधन की जीसूरी में हेतुस्थ शिवर का सुभाष किता। जहाँ विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी केंद्रीय जेलों में आयोजित हेतुस्थ कैद का अन्तोलन किया। कार्यक्रम के शुरूआत में अधिष्ठ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस अनुल शीधन को जेल गेट पर गाई ऑफ अन्स दिया गया। जेल अधिष्ठक गोपाल ताम्बकर ने अतिथियों का स्वागत किया।

21 चिकित्सकों की टीम ने किया 864 बंदियों का परीक्षण: जयलपुर जेल में 21 चिकित्सकों की



कैद्रीय जेल जबलपुर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर मंचासीन हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ● सौजन्य

मौजूदा में 864 वंशियों के स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें 93 महिलाएँ, 6 उनके बच्चे और 765 पुरुष शामिल थे। जांच के दौरान मेडिसिन गेस्ट्रोइंटेस्टोलाजी, कीडियोलॉजी, जनसंजी, गायनेकोलाजी, ईनएटी, डेंटन्यूरोलाजी, साइकिएट्रिक और अन्य जांच कर चिह्नित किया।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.
शत्रुघ्न दाहिया को मौजूदा में
शिविर में आई महिला नर्सों ने प
वैक्सीन महिला बंदी कुसुम वाई
लगाया। वहीं पुरुषों में पहला वैक्
ओमकार प्रसाद को लगा। विक्टो
जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने स
पहले सत्रमति के आधार पर सजाय

प्राप्त की। जिसके द्वारा तीन महिला वंदे सभित 71 को वैक्सैन लगाया गया।

300 अधिकारी, कर्मचारियों को लग गया वैक्सैन: जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने बताया कि 25 जनवरी को उन्होंने प्रंट लाइन वर्क्स के तीस पर वैक्सैन लगावाई थी। जेल के सभी 300 अधिकारी, कर्मचारियों को वैक्सैन लग चुकी है।

केंद्रीय जेल सागर में 380 बंदियों व सात बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं दीं



विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते जिला न्यायाधीश वी.आर. पाटिल । ● नवदुनिया

सागर (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जलकूप जिले के निर्विघ्न पर केंद्रीय जेल सागर के बंविष्यो का स्वास्थ्य परीक्षण करायो गयो। इसके बाद जिला न्यायाधीश वीआर पाटिल के मार्गदर्शन में विधिक सहायता शिविर लगायो गयो। शुभभाष जिला न्यायाधीश श्री पाटिल व मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व न्यायाधीश विवेक शर्मा, चिकित्सकीय विशेषज्ञ एवं जेल विभाग के अधिकारियों ने किया। शिविर में बुदेलखंड मेडिकल कालेज के चर्मरोग विशेषज्ञ डॉ. राघव गुप्ता, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. अनुराग जैन, सृजरी विशेषज्ञ डॉ. अकाश कुमार, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. रंजीत कुमार डी, शिथिर रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिरुद्ध चतुर्वेदी, स्त्री

एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा आर्य, इम्युनिटी विशेषज्ञ डॉ. विदेश जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजली वानीय, वंश रोग विशेषज्ञ डॉ. कुलवीर पाला ने 380 बंशियों और 7 बच्चों परीक्षण कर दवाएँ दीं। विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के साथ आयोजित विधिक सहायता शिविर में फैमल अधिवक्ताओं ने 328 बंशियों को विधिक सलाह दी। इसके पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से पात्र बंशियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। 45 पात्र बंशियों को जिला न्यायाधीश श्री पाटिल व सचिव श्री शर्मा ने आयुष्मान कार्ड दिए। जिला न्यायाधीश ने केंद्रीय जेल के बंशियों को कोरोना वैकसीन लगाए जाने के लिए निर्देश दिए।

जल्द लगेगा बंदियों को कोरोना टीका: एके सिंह

केन्द्रीय जेल में परितुद्ध बंदियों का किया गया बंधवार को स्वास्थ्य परीक्षण

[illegible]

इतने मरीजों का हुआ संबंधित बीमारियों का परीक्षण

विषय का नाम	पैगै संख्या	रेंच
मॉडिसिम	476	23
मार्गसिक रो	38	--
नर्मोरो	85	--
रिडवेथेथे	01	--
सबरो	126	60
टैबो एवं सेप्ट	56	--
बान्ध एवु कुरु रो	10	--
अथि रोरो	152	--
प्रमृति एवं सेरो	88	07
नेरोलाली	04	04
नेरोरो	143	73
इन्स्ट्रो	69	04
टैरोरो	64	07

यह डाक्टर जांव में रहे शामिल

मैंकल कोलंब में डॉ. जेकरा पेटे
मेडिसिन, डॉ. मुकेश अहवाल मनीष ने
आम्रि मणि चण्ण, डॉ. जेकरा मिश्र मंडी,
डॉ. मुकेश तिवारी ठोबो एव चेट, डॉ. मुकेश
सिंह ने, डॉ. शुभम मिश्र अमर ने,
शिव गोरे, डॉ. हरेन्द्र देवेंद्र, कोलंबी, डॉ.
अरुण मिश्र ने ने, डॉ. जॉर्जिका गुज्जर
कनक, मन्ना, डॉ. अमिताभ दत्त ने एव डॉ.
चंद्र प्रसाद, डॉ. अमिताभ सिंह, अरुण कुमार सिंह
जिला निवेदिता मंडी में ऑपरेशन
मनीष ने एव डॉ. जेकरा अरुण कनक
मन्ना ने विशेष ब्रीफिंग गो तिवारी में ब्री
कनकण अमिका कोड मन्ना, जेकरा
अमिका विमर्श कोड इन्टरे तिवारी, सलक
अमिका मन्ना, जेकरा एव यवतरे शिल्पक
शिविर में मेडिकल टिम

केन्द्रीय जेल में विधिक सेवा प्राधिकरण का स्वास्थ्य शिविर



शिविर की व्यवस्थाओं का जायज लेने जिन जज राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, सचिव डीपी मिश्र एवं उपाधीक्षक जेल रामकृष्ण चौधरी

सेंटल जेल में 790 कैदियों का चेकअप

बंदियों को स्वस्थ रखना सबकी जिम्मेदारी: जिला जज

भास्कर न्युत्र | सतना

राज्य विधिक सेवा प्राधिकर
(सातस) के निर्देशन पर केन्द्री

शिविर में टीबी के 6 मरीजों समेत 790 बंदि्यों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुमर 120 10 वा. 12 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उपच. न्यायपालिका के न्यायम. प्रकाश श्रीवास्तव ने वकील से वकील से से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का शुभारं. किया, तत्पश्चात् जिला जज वकील प्रकाश शर्मा ने शिविरवा. में सरस्वती को जीतना में प्रयत्न करने का शुरुआत की। जिला जज ने बंदि. से मुलाकात करते हुये कहा कि बंदि. को स्पष्ट रहना समझा (विमोहना) हो. इस अन्तस्. पर शक्ति से प्रशिक्षण के सचिव डीपी मिश्र, जे. उपशेखर राममुखा चौरी, विधि सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी और जिला कोर्ट के सिपाही ओमसेन रामसेक शर्माओं मौजूद थे।

13 डॉक्टरों की टीम ने
किया स्वास्थ्य परीक्षण

केन्द्रीय जेल में जेल डॉक्टर और जिल
तुलना के इधर (पुष्पा ठोकर, मनो
सुख, जेल पंडित, सलीम ठोकर) समेत 13
विशेषाधिकारियों ने टोप के साथ मोर्चा
बंदियों का विस्तारकर्म पोषण किया और
के अग्रसर दायरे में शिक्षण में नाक, ना
दुआ, हस्त, दवाई, शिक्षा दंत विरोध और
स्वित्चरोपेक्षों के अलग-अलग दलार लए
गये। इतर जेल के 22, भूत के 23, ब्राह्म
86 मर्चों का 22, भूत के 23, ब्राह्म
अलग दलों के मर्चों के विरोध लए
गये। 24 बंदियों में टोपों के प्राथमिक
पाप जेल में मर्चों को जेली बंद, विरोध
निर्दिष्ट और जेली बंद में सिद्ध 37 मर्च
और 9 बंदों का भी स्वायत्त परिणाम
डॉक्टर द्वारा किया। मौजूदा विस्तारकर्म
ने उपचार और बचाव को प्राथमिक जानकारी
को प्रदान किया।

हवालातियों को दी गई

न्यायालीन प्रकरणों की जानकारी

जेल में मित्रक 65 विचारगोष्ठि करियेये को उनके प्रकरण को बाँटे पेंसल अधिवक्ताओं ने जानकारी प्रदान की। अधिवक्ताओं ने केरियर को प्रकरण को समिती और अब तक बच करावैये हुं है, इसके बाँटे में अवगत कराया। साथ ही विचारगोष्ठि से प्रकरण से सम्बन्धित जानकारी (कूज) की विशिष्ट सेवा प्राधिकरण में निःशुल्क विशिष्ट साधनता के लिए नियुक्त 14 पेंसल अधिवक्ताओं ने बाँटोये को जानकारी कराया। इस दौरान विशिष्ट सहानुभूति अधिकारी सुनकर बाँटोये में 300 बच बाँटोये को विशिष्ट सहाय्य प्रदान को और 3 बाँटोये को निःशुल्क साधनता मारवा किया।

त्यवस्थाओं का भी लिया जायजा

जिला जवन ने केन्द्रीय जेल का निरीक्षण जेल अधीक्षक और प्राधिकरण के सहित के साथ किया। इस दौरान उन्होंने रमेशों पर, निर्माण स्थल और वेशों का निरीक्षण कर कैदियों से मुलाकात की। जिला जवन ने कैदियों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली और केन्द्रीय जेल के डॉक्टरों को अच्छा से अच्छा इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया और वह भी कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इलाज के लिए रमेशों को हायर सेक्टर भेजा जाए। वही जेल प्रबंधन को सार्वजनिक दुर्घटना रखने और बंदियों को आ रहे समयकात का सम्पूर्ण निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं।

केन्द्रीय जेल में लगाया गया विधिक सहायता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

एक ही दिन में हुआ 325
बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण

जलमण होशंगाबाद। केन्द्रा-
जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त
तत्वाधान में विधिक सहायता एवं
स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
किया गया तथा आवश्यकता अनुसार
औषधि वितरित की गई। साथ ही
जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक

सहायता एवं विधिक सलाह जिला प्राधिकरण के पैनाल अधिवक्ताओं द्वारा। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण प्रिन्सिपल न्यायिक मीनरेट हिमांशु कौशल ने

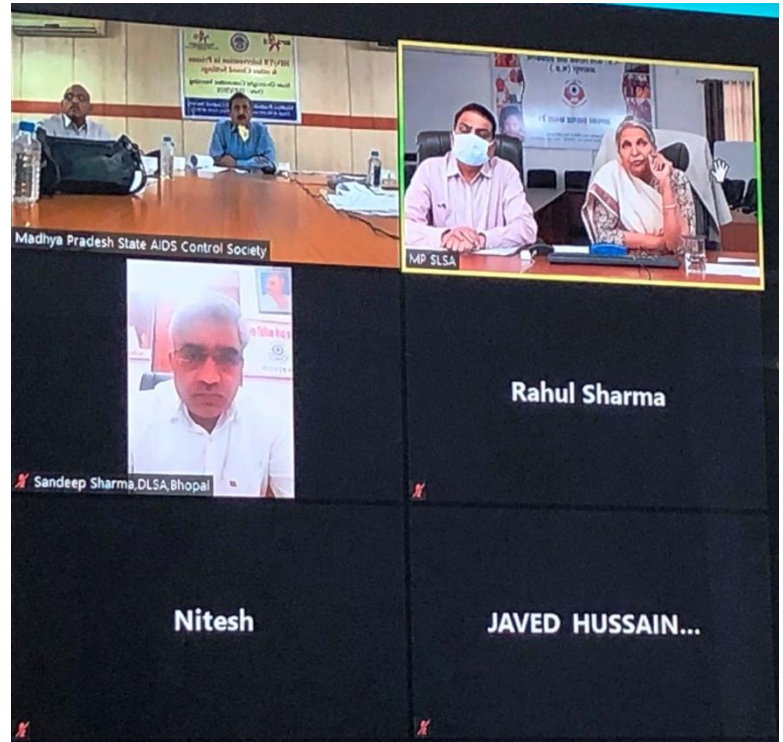


विश्विक सेवा राज, तेल अणुशोध बोधो पाण्डेय, केसर अणु परा भूतल कडाई वमा, सितुगन गंगो, निला विश्विक सहयता अधिकता विश्विक सेवा समानत से, कितलक एडो भौ, विन्द, गणारा धनश्री हूय, वम समनो, डा, अखिलेता संमन अणु शीत, अणके वमा आदि उपस्थित हय। स्वास पोषिक शिविर मे 302 पुरुष, 19 महिला एवं 04 बच्चा का स्वास्थ पोषा किया गया।

Special Care for Prisoners-Dealing with HIV

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 22.03.2021 को म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रक समिति भोपाल के साथ ऑनलाईन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में निरुद्ध एच.आई.व्ही., टी.बी., हेपेटाइटिस से पीड़ित बंदियों की दवाईयां एवं विशेष आहार के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही एड्स पीड़ित बंदी जमानत पर जेल से बाहर जाते हैं एवं दोषमुक्त होने के पश्चात् अपने गृह जिले में वापस जाकर अस्पतालों से दवाईयां मुहईयां किस प्रकार की जायेगी, इस संबंध में चर्चा की गई है। साथ ही ऐसे बंदियों को कार्ड भी जारी किये गये हैं ताकि वे जेल से छूटने पर दवाईयां अस्पतालों से आसानी से प्राप्त कर सकें। जेल में प्रवेश नये बंदियों की एच.आई.व्ही. एवं टी.बी. स्क्रीनिंग शत प्रतिशत हो सके इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये।

राज्य प्राधिकरण की ओर से सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि जेल लीगल एड क्लीनिक में नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स की सहायता से भी यदि ऐसे बीमार बंदियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वह तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत करायेंगे ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण तुरन्त किया जा सके। साथ ही समय-समय पर जागरूकता शिविरों के माध्यम से टी.बी. एवं एड्स के प्रति बंदियों को जागरूक किया जा रहा है।



Glimpses of Jail Inspection by DLSAs



DLSA ALIRAJPUR



DLSA BARWANI



DLSA



DLSA HARDA



DLSA SHAJAPUR



DLSA MANDLESHWAR

Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा विश्व जल दिवस दिनांक 22.03.2021 के अवसर पर जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समस्त न्यायाधीशगण द्वारा न्यायालय परिसर स्थित न्याय वाटिका में “पंच-ज” अभियान अंतर्गत पक्षियों को पानी पिलाने हेतु सकोरे लगाये एवं पर्यावरण संरक्षण जन जागरूकता का संदेश प्रसारित किया गया तथा विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से न्याय वाटिका में स्थित पक्षकारों को अपराधों से दूर रहने की समझाईश दी गई। उक्त अवसर पर नालसा सालसा की जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। इस अवसर पर लगभग 15 महिला एवं 17 पुरुष उपस्थित रहें।



Legal Services to Children under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

दिनांक 25.03.2021 को सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, तहसील न्यायालय जावरा द्वारा जावरा ब्लॉक के ग्राम परवलिया, सेमलिया, चिकलाना, ढोढर, मोयाखेड़ा, माननखेड़ा, पिपलिया जोधा एवं हनुमंतिया में बाछड़ा समुदाय के छात्र-छात्राओं के आगामी शिक्षा अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों का वितरण किया गया। उक्त पुस्तकों का सेट ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच को सौंपा गया तथा उन्हें निर्देशित किया गया कि समस्त पुस्तकों का रिकॉर्ड एवं छात्र-छात्राओं द्वारा उपयोग की जाने वाली पुस्तकों का लेखा रखें। साथ ही म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं शासन द्वारा संचालित की जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही जावरा ब्लॉक के ग्राम ढोढर एवं पिपलिया जोधा में निःशुल्क कृत्रिम अंग लगवाने हेतु दिव्यांग चिन्हित किये गये।





विधिक सहायता रतलाम द्वारा बाछड़ा समुदाय में रहने वाले छात्र- छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पुस्तकों का वितरण किया गया - Hamare Adhikar

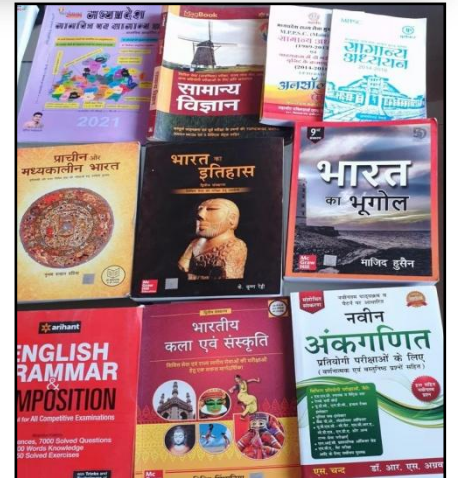
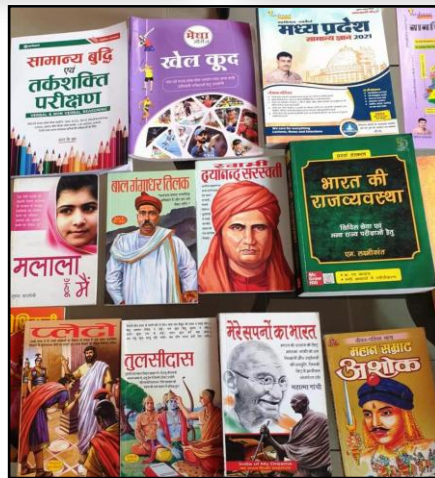
hamareadhikar.in

विधिक सहायता रतलाम द्वारा बाछड़ा समुदाय में रहने वाले छात्र- छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पुस्तकों का वितरण किया गया

<https://hamareadhikar.in/jila-vidhik-sahayta-competitive-exams-book-distribute/>

Hamare Adhikar News

5:10 PM



Glimpses of Camps and Inspection under the Child Friendly Scheme



DLSA PANNA



DLSA CHHINDWARA



DLSA KHANDWA



DLSA BURHANPUR



DLSA BETUL



DLSA DEWAS

Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा दिनांक 10-03-2021 को ग्राम सुजानपुरा जिला भिण्ड में वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उपरोक्त विवाद विहीन ग्राम में आपसी विवादों का निराकरण विवाद विहीन सेवा दल के माध्यम से किये जाने हेतु सामान्य जन को सेवा दल के सदस्यों के साथ प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही दिनांक 15-03-2021 को निराश्रित भवन भिण्ड में आयुष्मान भारत योजना "निरामयम्" के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभिनव पहल करते हुए निराश्रित भवन एवं वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग भिण्ड के सहयोग से निःशुल्क तैयार करवाये गये।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 09.03.2021 को वात्सल्य धाम (वृद्धाश्रम), मंदसौर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठजन के कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों से अवगत कराया गया। वृद्धजनों द्वारा न्यायालय में लंबित उनके भरण-पोषण संबंधी प्रकरणों में विधिक प्रश्न पूछे गये, जिनका जवाब देकर वृद्धजन की जिज्ञासाओं को शांत किया गया।



दिव्यांगता से सचलता की ओर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा 'दिव्यांगता से सचलता की ओर एक अभियान' के अंतर्गत श्री दुर्गेश बौरासी रतलाम को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सहयोग से भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति, जयपुर से बायां हाथ (कृत्रिम अंग) लगवाया गया। श्री दुर्गेश का एक दुर्घटना में बायां हाथ कुहनी तक कट गया था। पूर्व में भी श्री दुर्गेश द्वारा कृत्रिम हाथ लगवाया गया था, किंतु वह बहुत भारी था और जल्द ही टूट गया था। बायां हाथ न होने से श्री दुर्गेश को काम करने में परेशानी आ रही थी। श्री दुर्गेश द्वारा पीएलव्ही के माध्यम से कार्यालय में संपर्क किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा कोरोना काल से ही कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हेतु प्रयास किये जा रहे थे। उस समय ज्यादा ट्रेनें संचालित न होने और रतलाम से जयपुर की दूरी जबलपुर स्थित कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण केंद्र से कम होने के कारण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया गया। बायां हाथ लग जाने से अब श्री दुर्गेश अत्यंत खुश है और सामान्य जीवन जीने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही है, अब दुर्गेश स्वरोजगार प्राप्त कर अपना सुखद जीवन-यापन कर सकता है।



Before



After

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट द्वारा नगरपालिका परिषद बालाघाट के उद्घोषक वाहन की मदद से बालाघाट शहर में दिव्यांगजन के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एवं उन्हें बैटरी चलित ट्रायसाइकल प्रदाय किये जाने के संबंध में शिविर आयोजन की सूचना प्रसारित की गई। जिसके फलस्वरूप वारासिवनी, कटंगी, परसवाड़ा एवं बैहर में शिविर लगाया गया। तहसील विधिक सेवा समिति वारासिवनी, कटंगी तथा बैहर के सहयोग से लगाये गये शिविरों के माध्यम से मोट्राइज्ड ट्रायसाइकिल प्रदाय करने हेतु 241 दिव्यांगजन चिन्हित किये गये हैं।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना द्वारा सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के सहयोग से दिनांक 16.03.2021 को जिला दिव्यांग एवं पुर्नवास केन्द्र मुरैना में दिव्यांगजन के कल्याण हेतु लाभदायक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक दिव्यांग, अस्थि बाधित कुल 40 लाभान्वितों को चिन्हित कर छडिया, कान की मशीन, व्हीलचेयर, ट्राय सायकल वितरण की गई, इसके अतिरिक्त 5 दिव्यांगजन को बस किराये में 50 प्रतिशत की रियायत हेतु पास का वितरण भी किया गया।



Legal Services to Labour under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिनांक 17.03.2021 को बरगी नगर के ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को नालसा द्वारा चलाई जा रही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजनाएं 2015 एवं सबल कार्ड की उपयोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, इसके साथ ही ग्रामीणों को मजदूरों को आकाशीय बिजली गिरने, करंट लगने, सांप के काटने या जंगली जानवरों के हमले करने पर जान माल के खतरा या क्षति होने पर शासन द्वारा मिलने वाले मुआवजे के बारे में अवगत कराया।



असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिली विधिक सेवाओं की जानकारी



जबलपुर। बरगी नगर कि ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में आज एक दिवसीय विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सचिव माननीय शरद भामकर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी के मार्गदर्शन में तथा पंचायत सचिव रुपेश टहनगुरिया मगरधा पंचायत के सरपंच पति इंदर सिंह तिलकाम सूरज धुर्वे तथा रोहिणी प्रसाद पटेल की उपस्थिति में शिविर प्रारंभ शुरू किया गया। इस अवसर पर ग्राम की मनोज पटेल रोशनी पटेल प्रहलाद सूरज धुर्वे हाकम सिंह सुरेश सिंह की उपस्थिति रही।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिली विधिक सेवाओं की जानकारी

ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

बरगी नगर। नगर कि ग्राम पंचायत तुनिया सालीवाडा में बुधवार को एक दिवसीय विधिक जागरूकता साक्षरता शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सचिव माननीय शरद भामकर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी के मार्गदर्शन में पंचायत सचिव रुपेश टहनगुरिया, मगरधा पंचायत के सरपंच पति इंदर सिंह तिलकाम, सूरज धुर्वे तथा रोहिणी प्रसाद पटेल की उपस्थिति में शिविर प्रारंभ किया गया।

हक और अधिकारों की मिली जानकारी



Public Awareness Rally organized across the State under Ayushman Bharat Scheme

MP SLSA took a clarion call for ensuring basic health facilities under the Ayushman Bharat Scheme to all entitled persons in coordination with the Health Department and local administration. Recognizing that access to health is a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India, a statewide campaign has been launched commencing from 03.03.2021 under the caption “Apke Dwaar Ayushman”.

The campaign was flagged off by Hon’ble the Administrative Judge Principal Seat Jabalpur & Executive Chairman from the office of the M.P. State Legal Services Authority while at the District Court level the District Judge/Chairman DLSA flagged off the rally from the District Court Campus. The bike rallies converged at the Medical College/District Hospital where a small camp was also held to make patients and their attendants aware of the facilities available under the Ayushman Bharat Scheme. At the Netaji Subhash Chandra Bose Medical College Jabalpur a help-desk was set up and Ayushman Cards of 47 eligible persons were prepared by the Ayushman Mitras.

Through this step it is expected that the MP SLSA, in coordination with the Government functionaries, shall successfully reach out to under-privileged people across the State and ensure their accessibility to optimum health facilities and the right to live with dignity through free treatment facilities extending up to Rs. 5 lakhs annually for every card holder.



GLIMPSES FROM DLSAs



DLSA ALIRAJPUR



DLSA ANUPPUR



DLSA ASHOK NAGAR



DLSA BALAGHAT



DLSA BARWANI



DLSA BETUL



DLSA BHIND



DLSA VIDISHA



DLSA BURHANPUR



DLSA CHHATARPUR



DLSA CHHINDWARA



DLSA DAMOH



DLSA DATIA



DLSA DEWAS



DLSA DHAR



DLSA DINDORI



DLSA GUNA



DLSA GWALIOR

Activities Report (Month- March 2021)



DLSA HARDA



DLSA HOSHANGABAD



DLSA INDORE



DLSA JABALPUR



DLSA JHABUA



DLSA KATNI



DLSA KHANDWA



DLSA MANDLA



DLSA MANDLESHWAR



DLSA MANDSAUR



DLSA MORENA



DLSA NARSINGHPUR



DLSA NEEMUCH



DLSA PANNA



DLSA RAISEN



DLSA RAJGARH



DLSA RATLAM



DLSA REWA



DLSA SAGAR



DLSA SATNA



DLSA SEHORE



DLSA SEONI



DLSA SHAHDOL



DLSA SHAJAPUR



DLSA SHEOPUR



DLSA SHIVPURI



DLSA SIDHI



DLSA SINGRALI



DLSA TIKAMGARH



DLSA UJJAIN

आयुष्मान कार्ड जनजागरूकता रैली निकाली

[illegible]

Massive rally to create awareness about Ayushman Bharat Yojana taken out



Staff Reporter

[illegible]

निरामय भारत अभियान के लिए
जागरूकता बाइक रैली

[illegible]

जिला न्यायाधीश ने बाइक
रैली को दिखाई हरी झंडी

[illegible]

नमोह/राजगढ़/नरसिंहपुर
नगर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई जन जागरूकता बाईक रैली



आयुष्मान आपके द्वार जागरूकता अभियान, नक्सला चले

प्रोत्साहन द्वारा ही सर्वोच्च शिक्षण
 राजस्थान राज्य सरकार के माध्यम से
 आयुष्मान जिला न्यायाधीश, अजमेर
 के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान

न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश
 न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश
 न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश
 न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश



महिला ६३ वर्ष की आयु में
 १९९० में एक छोटी सी दुकान
 शुरू की। उस समय ६३ हजार
 रुपये का पूरा पैसा ही उसका
 पूरा धन था। उस समय की
 दुकान का नाम था 'सुनील'।
 १९९० में ही उसने अपनी
 दुकान का नाम बदलकर
 'सुनील' रख दिया। उस
 समय की दुकान का नाम
 था 'सुनील'।

महिला ६३ वर्ष की आयु में
 १९९० में एक छोटी सी दुकान
 शुरू की। उस समय ६३ हजार
 रुपये का पूरा पैसा ही उसका
 पूरा धन था। उस समय की
 दुकान का नाम था 'सुनील'।
 १९९० में ही उसने अपनी
 दुकान का नाम बदलकर
 'सुनील' रख दिया। उस
 समय की दुकान का नाम
 था 'सुनील'।

महिला ६३ वर्ष की आयु में
 १९९० में एक छोटी सी दुकान
 शुरू की। उस समय ६३ हजार
 रुपये का पूरा पैसा ही उसका
 पूरा धन था। उस समय की
 दुकान का नाम था 'सुनील'।
 १९९० में ही उसने अपनी
 दुकान का नाम बदलकर
 'सुनील' रख दिया। उस
 समय की दुकान का नाम
 था 'सुनील'।

महिला ६३ वर्ष की आयु में
 १९९० में एक छोटी सी दुकान
 शुरू की। उस समय ६३ हजार
 रुपये का पूरा पैसा ही उसका
 पूरा धन था। उस समय की
 दुकान का नाम था 'सुनील'।
 १९९० में ही उसने अपनी
 दुकान का नाम बदलकर
 'सुनील' रख दिया। उस
 समय की दुकान का नाम
 था 'सुनील'।

स्वस्थ रहना सबका अधिकार, जात्र
जल्द मिले आयुष्मान भारत योजना का लाभ- वेद

[illegible]

आज भी आधुनिक भारत गांधीजी की आकांक्षाओं पर चल रहा है
आज भी किसानों को सड़क पर खड़ा करना पड़ रहा है
आज भी किसानों को मजदूरी के बजाय भुगतान करना पड़ रहा है
आज भी किसानों को...



नैमित्त्य आर्कषक द्वारा आयुधमान अभिषेक के तहत जिन-जामककत के उद्देश्य से जि विभाग और विन्कि संस्था प्रार्थिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर से बुधवार को निकाली गईं। इन अवसर पर जिला पंचायत सेईओ आरोपि संमानित भी उ खाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सेईओ विन्कि टीकीज चौखर कोर्ट परिसर से नैमित्त्य सटो रोते हुए फानवसुग चौखर निकलें। जहां सीमावर्त चडो ने सफाईय को संभालत करते हुए आयुधमान योजना के बारे में जानकारी एपसी मूज कुमर वामं, जिला विन्कि संस्था प्रार्थिकरण के सचिव संसय डॉ. बीएल रावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Celebration of "Bharat ka Amrut Mahotsav"

भारत सरकार द्वारा आयोजित "भारत का अमृत महोत्सव" कार्यक्रम के शुभारंभ दिवस दिनांक 12.03.2021 को म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राज्य के 18 आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बडवानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, खण्डवा, मण्डला, मण्डलेश्वर, रीवा, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी एवं उमरिया में आदिवासी समुदाय को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंद आदिवासी समुदाय के सदस्यों को विधिक सहायता एवं सलाह भी प्रदान की गई, साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा उक्त शिविर आयोजन में आदिवासी समुदाय के हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड एवं लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रमाण पत्र भी प्रदान किये गये।

शिविर आयोजन संबंधी कुल जिलों की संख्या	आयोजित कुल शिविरों की संख्या	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
18	24	2083

GLIMPSES FROM DLSAs



DLSA ALIRAJPUR



DLSA ANUPPUR



DLSA BALAGHAT



DLSA BARWANI



DLSA BETUL



DLSA CHHINDWARA



DLSA DHAR



DLSA DINDORI

Activities Report (Month- March 2021)



DLSA JHABUA



DLSA KHANDWA



DLSA MANDLA



DLSA MANDLESHWAR



DLSA REWA



DLSA SEONI



DLSA SHAHDOL



DLSA SHEOPUR



DLSA SHIVPURI



DLSA UMARIA

Media News....

अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

रिया (एन एच १०२)। भारत सरकार द्वारा अंगुष्ठा मलेरिया कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिया एवं टीचर डे इव संस्थान के समुक्त लक्ष्यवाचन में मुह मोड़कर बैठे। जिला जज, जिला अधिवक्ता समुपस्थित के माध्यम विधिक सहायता प्रदान की जायेगी।

उद्देश्य अधिक से अधिक आदिवासी समुदाय को विधिक सहायता से जागरूक करना। यह अवसरान राज् विधिक सेवा प्राधिकरण जलपुर के दिनांक २०२० विधिक सेवा प्राधिकरण रिया अलग कुमार सिंह तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह के माध्यम से व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रिया श्री विमल कुमार लक्षाने के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। विधिक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विमल कुमार लक्षाने ने अपने उद्घोषण में

मिश्र ने निजामुल विधिक सहायता एवं भारत अन्तर्गत से जागरूक सिद्ध ने पोस्टरों और निजामुल से जागरूक संस्थान के जेनेक कुल जिला विधिक सेवा उद्घोषण में। इस में श्री योजनाराम

[illegible]

कानून की जानकारी दी

भारत का अमृत महोत्सव के तहत विधिका साक्षरता शिविर का आयोजन किया

[illegible]

फानून की जानकारी होना सभी के लिए आवश्यक: डेहरिया

[illegible]

मनोज कुमार
आंतरिक विधिक सेवा
डेवरिया के द्वारा शिविर में बोला
होना प्रकाश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
लोगों की मदद करता है एवं उन्हें लौटल
पुलिस एलन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मनाया अमृत महोत्सव

और पुलिस के द्वारा
माहिरता दिवस
किया गया

The photograph shows a public meeting or discussion. Two men are seated at a table on a raised platform. The man on the left wears a white shirt and glasses, while the man on the right wears a purple shirt and glasses. They appear to be listening or participating in a discussion. In front of them, a large group of people, mostly women and children, are sitting on the floor, facing the stage. Banners in the background contain text in Hindi, including "ने मंगा" (I have asked), "और जो" (and who), "साबरका शिवाजी" (Saberka Shivaji), "शिवाजी" (Shivaji), "विश्व" (Vishwa), "सामाजिक" (Samajik), "आर्थिक" (Arthik), "विकास" (Vikas), "मार्ग" (Marg), "प्रदर्शन" (Pradarshan), "कर रहा है" (kar raha hai), "राष्ट्र" (Rashtra), "के" (ke), "लिए" (lie), "हैं" (hai), "आज" (Aaj), "क्या" (Kya), "करना" (karna), "है" (hai), "आज" (Aaj), "क्या" (Kya), "करना" (karna), "है" (hai)).

[illegible]

वृहद विधिक साक्षरता शिविर

(म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित)

स्थान – चित्रकूट

दिनांक 21.03.21

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2021 को जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उ.प्र. एवं म.प्र. के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप समाज के कमजोर, निर्धन, असहाय वर्ग के हितार्थ व विधिक सशक्तिकरण के लिए वृहद विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित समस्त विभागों द्वारा लगभग 50 स्टॉल लगाये गये, जिनमें शासन के वालेंटियर एवं प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पी.एल.व्ही. की टीम ने उपस्थित व्यक्तियों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा पात्र व्यक्तियों के फार्म भरवाये गये। शिविर में दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल, कृत्रिम अंग, श्रवण मशीन, स्टिक प्रदान किये गये।

इस शिविर में हितग्राहियों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत कार्ड, लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्धा पेंशन योजना एवं शासन की अन्य योजनांतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान कर लगभग 3000 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया।

दिनांक 20.03.2021 की पूर्व संध्या पर चित्रकूट में प्रवाहित जीवन दायिनी मंदाकिनी नदी के संरक्षण को लेकर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, उक्त बैठक में महंतों, संतों, नाविकों, पुजारियों व स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर मंदाकिनी के बढ़ते प्रदूषण, उसके संवर्धन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई, उनसे सुझाव साझा किये गये। इस अवसर पर बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण द्वारा रामघाट का निरीक्षण किया गया।

उक्त बैठक में महंतों, संतों, नाविकों, पुजारियों व स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाये जाने एवं मंदाकिनी के प्रदूषण, उसके संवर्धन के लिये समय सीमा निर्धारित करने एवं आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने के संबंध में भी चर्चा की गई। स्थानीय प्रशासन से उपस्थित

अधिकारीगण को भी भौतिक रूप से मौके पर जाकर निरीक्षण कराकर समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके फलस्वरूप स्थानीय प्रशासन ने शीघ्रातिशीघ्र उन समस्याओं को निराकृत करना सुनिश्चित किया। इसके साथ ही मंदाकिनी नदी को प्रदूषण से बचाने हेतु रामघाट और उसके आस पास रहने वाले स्थानीय लोगों को जीवन दायिनी मंदाकिनी नदी के बहाव को निरंतर बनाये रखने के लिये उसके आस पास स्वच्छता बनाये रखने के लिये जागरूक किया गया।

GLIMPSES of Camps...



मंदाकिनी नदी के संरक्षण में उत्तरी मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम

Media News.....

अच्छी पहल कमजोर तबके तक कानूनी सहायता पहुंचाना मुख्य उद्देश्य



विधिक शिविर में मौजूद मध्यप्रदेश के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण की संचय गिरिबाला सिंह, जिला जज सतना राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अन्य व्यक्तिक अधिकारी एवं लाभान्वित लोग।

देश के पहले मेगा विधिक साक्षरता शिविर में 2 हजार व्यक्ति लाभान्वित

भास्कर न्यूज़ | सतना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) के संयुक्त तत्वाधान में जिले के चित्रकूट में आयोजित किए गए पहले अंतरराज्यीय मेगा विधिक साक्षरता शिविर में 2 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। एम्पी और यूपी के सालसा प्रमुख न्यायमूर्ति द्रप प्रकाश श्रीवास्तव और संजय यादव ने शिविर के उद्घाटन में बोलते हुए कहा कि कमजोर तबके तक पहुंचने और विधि एवं शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मौजूद सालसा की

सदस्य गिरिबाला सिंह ने कहा कि आजारी के बाद से अब तक कुछ ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है, शिविर से ऐसे ही व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें जागरूक और सशक्त बनाने का उद्देश्य है। जिला जज राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित न हो इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, अपराध पीडित प्रतिकार योजना समेत अन्य बहुत सी योजनाओं समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं। जरूरतमंद व्यक्ति जिला और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।

एमपी-यूपी के 50 प्रमुख विभागों के स्टाल

राज्य विधिक के तत्वाधान में लगाए गए मेगा शिविर में दोनों राज्यों के प्रमुख विभागों जैसे महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के करीब 50 स्टाल लगाए गए थे। जिनके माध्यम से करीब 2 हजार लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किए गए एम्पी-यूपी के संयुक्त विधिक शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डीपी मिश्रा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में आयोजित शिविर का उद्देश्य सम्यक् रहा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे लाभान्वित कर शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया है।

33 को लाइली और 5 को 2-2 लाख की मदद

मेगा शिविर में लाइली लक्ष्मी योजना में पात्र होते हुए भी योजना के लाभ से वंचित 33 लाइलियों को लाइली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया। वहीं सीएम विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 5 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुप की राशि स्वीकृति की गई। शिविर में मौजूद सम्पत साहू, संजु कोल, विद्या दहायत, रत्ना शर्मा और किरण कोल को स्वीकृत आदेश मौके पर ही प्रदान किया गया।

आजीविका मिशन में 6 लाख 90 हजार की सहायता

मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 21 स्व-सहायता समूह को 6 लाख 90 हजार रुप की सहायता विभिन्न मदों से प्रदान की गई। सर्वाधिक 2 लाख 25 हजार की सहायता राशि ग्राम झोंटा के वेद आजीविका ग्राम संगठन और नकैला के दुर्गा आजीविका संगठन तथा 2 लाख रुप श्रेया आजीविका समूह नरदहा, एक-एक लाख रुप की राशि कंदर, सेजवार, मझगांव के स्वसहायता समूह को स्वीकृत की गई।

बैशाखी से आई, चल के गई

शिविर में प्रमोदवन आनंद धाम वृद्धाश्रम चित्रकूट के द्वारा दिव्यांगों को कुत्रिम अंग और ट्राईडायलिकल का वितरण किया गया। बैशाखी के सहारे शिविर में पहुंची शकुंतला को मौके पर ही कुत्रिम पैर उपलब्ध कराया गए। इसी तरह 7 अन्य दिव्यांगों को क्लीन चेयर एवं कान की मशीन और बैशाखी प्रदान की गई।

चित्रकूट में देश का पहला संयुक्त वृहद विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न

सतना। कोई भी व्यक्ति नाब से वंचित न हो तथा सभी लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इस उद्देश्य को प्राथम हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तरप्रदेश राज्य तब मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए राबिकार को वृहद विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति संजय यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य को रूपांश के बारे में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव श्रीमती गिरिबाला सिंह द्वारा बताया गया कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भी ऐसे लोग हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला पा रहा है। इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन लोगों को जागरूक एवं सशक्त बनाने के लिए कर रहा है, ताकि सभी नागरिक वृद्ध निर्माण को और आसुर हो। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, वर्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर तबके को भी न्याय मिल सके, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण का यह भी कार्य है कि राज्य की कल्याणकारी योजना का प्रचार-प्रसार हो और जो भी नागरिक जरूरतमंद हो उन तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का देश में यह पहला संयुक्त प्रयास है। जिसके माध्यम से इस वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाने का प्रयास हो रहा है। इससे एक शिविर के माध्यम से दोनों राज्य के हितग्राहियों को तत्काल योजना का लाभ मिलने संबंध हो पा रहा है। जैसे-जैसे यह कार्य बढ़ेगा, वैसे ही लोगों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जागरूकता भी बढ़ेगी। न्यायमूर्ति संजय यादव, कांपलक अध्यक्ष उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि मुखिय का मुख इस तरह होना चाहिए जो सारा के सभी अंगों का पालन पोषण करे। वैसे ही राज्य का भी यह कर्तव्य है कि विधिक को समान रूप से लागू करे और शासन की सभी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाए, जो समाज का अंतिम बिन्दु तक स्थित है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि भारत में विधि का शासन है और देश का संचिधान राष्ट्र के सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित न हो। इस हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क और समर्थ विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता एवं अपराध पीडित प्रतिकार योजना आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके द्वारा लोगों में अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता को दूर कर उनको विधिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है और ऐसे मेगा शिविरों में शासन का सहयोग लेकर अधिक से अधिक लोगों को सशक्त किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना के सचिव डी.पी. मिश्रा ने शिविर आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में मध्य और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिव्यांगों जैसे महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के करीब 50 स्टाल लगाए गए थे। जिनके माध्यम से करीब 2000 लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं जैसे लाइली लक्ष्मी मुकुन्दन कल्याण, दिव्यांगों को कुत्रिम अंग और ट्राईडायलिकल का वितरण किया गया। शिविर में न्यायमूर्ति, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी और उनका स्टाफ तथा चित्रकूट क्षेत्र के अलग-अलग निवासी व्यक्ति आदि उपस्थित रहे।

Tue, 23 March 2021
<https://epaper.bhaskarhindi.com/c/59271008>

मां मंदाकिनी को बचाने उतरे न्यायाधीश

यूपी और हमारे के बचावधीशों ने सां नहर और मंदाकिनी में आजीविका वनाके बालों के साथ नहरका मलावेनदनाय नमिदत प्रमाण में बेटा की



मध्यप्रदेश न्यायाधीश नमिदत प्रमाण में उतरे नहर और मंदाकिनी में आजीविका वनाके बालों के साथ नहरका मलावेनदनाय नमिदत प्रमाण में बेटा की

संवेदन रिपोर्ट
 मध्यप्रदेश न्यायाधीश नमिदत प्रमाण में उतरे नहर और मंदाकिनी में आजीविका वनाके बालों के साथ नहरका मलावेनदनाय नमिदत प्रमाण में बेटा की

तीन दशक का दर्द

तीन दशक का दर्द
 मध्यप्रदेश न्यायाधीश नमिदत प्रमाण में उतरे नहर और मंदाकिनी में आजीविका वनाके बालों के साथ नहरका मलावेनदनाय नमिदत प्रमाण में बेटा की

चित्रकूट में देश का पहला संयुक्त वृहद विधिक साक्षरता शिविर लगा

शिविर का शुभारंभ उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालय प्रयाग के न्यायमूर्ति ने किया



नवभारत न्यूज
 जलपूर 21 मार्च। कोई भी व्यक्ति नाब से वंचित न हो तथा सभी लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो इस उद्देश्य को प्राथम हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तरप्रदेश राज्य तब मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए राबिकार को वृहद विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ न्यायमूर्ति संजय यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्देश्य को रूपांश के बारे में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव श्रीमती गिरिबाला सिंह द्वारा बताया गया कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज भी ऐसे लोग हैं, जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिला पा रहा है। इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन लोगों को जागरूक एवं सशक्त बनाने के लिए कर रहा है, ताकि सभी नागरिक वृद्ध निर्माण को और आसुर हो। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, वर्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर तबके को भी न्याय मिल सके, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकरण का यह भी कार्य है कि राज्य की कल्याणकारी योजना का प्रचार-प्रसार हो और जो भी नागरिक जरूरतमंद हो उन तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का देश में यह पहला संयुक्त प्रयास है। जिसके माध्यम से इस वृहद विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाने का प्रयास हो रहा है। इससे एक शिविर के माध्यम से दोनों राज्य के हितग्राहियों को तत्काल योजना का लाभ मिलने संबंध हो पा रहा है। जैसे-जैसे यह कार्य बढ़ेगा, वैसे ही लोगों में अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जागरूकता भी बढ़ेगी। न्यायमूर्ति संजय यादव, कांपलक अध्यक्ष उत्तरप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि मुखिय का मुख इस तरह होना चाहिए जो सारा के सभी अंगों का पालन पोषण करे। वैसे ही राज्य का भी यह कर्तव्य है कि विधिक को समान रूप से लागू करे और शासन की सभी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाए, जो समाज का अंतिम बिन्दु तक स्थित है। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि भारत में विधि का शासन है और देश का संचिधान राष्ट्र के सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय पाने से वंचित न हो। इस हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क और समर्थ विधिक सहायता, लोक अदालत, मध्यस्थता एवं अपराध पीडित प्रतिकार योजना आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसके द्वारा लोगों में अपने अधिकारों के प्रति अज्ञानता को दूर कर उनको विधिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है और ऐसे मेगा शिविरों में शासन का सहयोग लेकर अधिक से अधिक लोगों को सशक्त किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना के सचिव डी.पी. मिश्रा ने शिविर आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर में मध्य और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिव्यांगों जैसे महिला बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के करीब 50 स्टाल लगाए गए थे। जिनके माध्यम से करीब 2000 लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं जैसे लाइली लक्ष्मी मुकुन्दन कल्याण, दिव्यांगों को कुत्रिम अंग और ट्राईडायलिकल का वितरण किया गया। शिविर में न्यायमूर्ति, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी और उनका स्टाफ तथा चित्रकूट क्षेत्र के अलग-अलग निवासी व्यक्ति आदि उपस्थित रहे।



Empowering Women

Online inauguration of "Urja Mahila Help Desk" in 700 Police Stations of the State by Hon'ble Executive Chairman MP SLSA



In a bid to empower women of the State and to facilitate legal help/counseling for women at various police stations across the State, M.P. State Legal Services Authority collaborated with M.P. Police for establishing women oriented help desks at 700 Police Stations in the State of Madhya Pradesh.

In this regard, online training programmes have been conducted to sensitize those police officers who would be manning these help desks. Apart from provisions of Dowry Prohibition Act, PCPNDT Act, DV Act, Prohibition of Child Marriage Act, Maintenance Act, Juvenile Justice, other Rights of Women including free legal aid and more



Hon'ble Executive Chairman addressing to duty holders of "Urja help desks"

important had a segment on empathetic communication to make the first point of contact for victims people friendly.

Further, for wider publication among the people, MPSLSA has also provided study material, pamphlets, brochures, banners etc.

The 700 Urja help desks were inaugurated on 31.03.2021 by Hon'ble the Executive Chairman MPSLSA with online

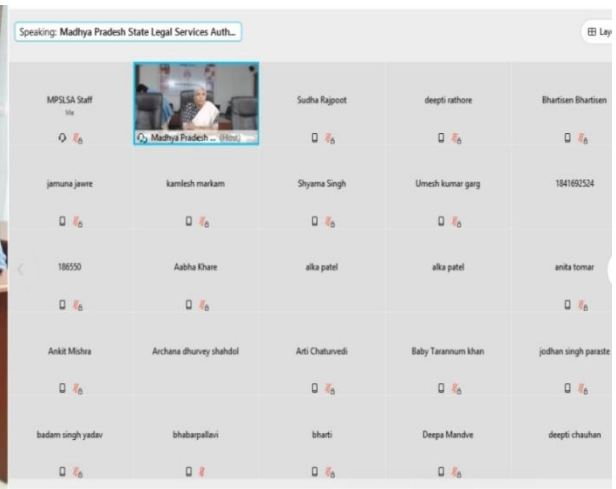


Hon'ble Executive Chairman MPSLSA Releasing the SOP for Urja Mahila Help Desk

Activities Report (Month- March 2021)

presence of Director General of Police, ADGP (CAW), PS (Women & Child Development, Health) ACS (Home & GAD) and the duty holders of 700 help desks including Collectors, SPs and all DLSAs.

With this small but important step an endeavor has been made to increase accessibility to platforms for victims especially women and children and increase faith in the justice dispensation system.



Imparting training to duty holders by MP/SLSA





Activities Report (Month- March 2021)

बाल अधिकार पैरालीगल वालेंटियर नियमावली



मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जबलपुर



Books
Published
for
“Urja
Help
Desk”

आओ जाने महिला कानूनों के बारे में

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

574, साउथ सिविल लाइन्स, पंचपेदी, जबलपुर
फोन : 0761-2678352, 2624131 फेक्स: 0761-2678537, ईमेल - mpjsajab@nic.in
वेबसाइट - www.mpslsaa.gov.in, टोल फ्री. 15100

यौन अपराध पीड़िता के अधिकार

पुलिस स्टेशन में

- अपने विस्तृत घटित यौन अपराध में FIR करवाता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs एवं क्वेश्चन धन 166 CrP)
- FIR की त्रुटिपूर्ण प्रति प्राप्त करता
(धन 154 (3) CrP POCs धन 2020 के धन 4(3)(b))
- महिला पुलिस अधिकारी के ही सहायक कानून देता
(धन 154, 164 CrP, धन 24(3) POCs धन 2020)
- अपने विचारों या परामर्श के समर्थन पर की कानून देता
(धन 24(3) POCs धन धन 160(1) CrP)
- नागरिक/शारीरिक नि:शस्त्र, या अन्य भागीदार की सहायता के लिए दिग्दर्शित
(ट्रान्सलेटर), अनुवादक या विशेष प्रशिक्षक या विशेष प्रशिक्षक प्राप्त करता
(धन 154, 164, 164(5A) CrP, धन 19(4), 24(3)(3) POCs धन 2020, धन 5 POCs धन 2020)
- विशेष के दौरान बिजता, गोपनीयता तथा सम्मान
(धन 23, 24(3) POCs धन, धन 228A CrP धन 327 (3) & (3) CrP)
- साक्षात्कार तथा सहायक सहायक प्रत्यक्ष को प्राप्त करता
(धन 25(2) POCs धन धन धन 173(2)(d) CrP के अन्तर्गत नए कानून के अधीन धन 2014 में धन की नई विधिविधि)



चिकित्सीय परीक्षण के दौरान

- विशेष अपराध/पीड़ित, चिकित्सीय परीक्षण आदि में शीघ्र और त्रुटिपूर्ण चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार प्राप्त करता
(धन 357(1) CrP धन 19(3) POCs धन 2020 के धन 4(3) (b) धन 6, धन 164, धन 164(5A) CrP, धन 24(3)(3) POCs धन 2020, धन 5 POCs धन 2020)
- चिकित्सीय परीक्षण हेतु सहमति देना या न देना
(धन 11 एवं 12 धन अनु 8, धन अधिनियम 2008 धन 2014 में धन अपराध के दौरान के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान धन 2014 में धन की नई विधिविधि)
- अपने चिकित्सीय परीक्षण के समर्थन प्राप्त करता
(धन अधिनियम 2008 धन 2014 में धन अपराध के दौरान के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान धन 2014 में धन की नई विधिविधि)



न्यायालय में

- नागरिक/शारीरिक नि:शस्त्र, या अन्य भागीदार की सहायता के लिए दिग्दर्शित (ट्रान्सलेटर), अनुवादक या विशेष प्रशिक्षक या विशेष प्रशिक्षक प्राप्त करता
(धन 154, 164, 164(5A) CrP, धन 24(3)(3), 38 POCs धन, धन 5 POCs धन 2020)
- द्वारा के दौरान बिजता, गोपनीयता तथा सम्मान
(धन 23, 37 POCs धन, धन 228A CrP धन 327 (3) & (3) CrP)



Flex
for
“Urja
Help
Desk”

यौन अपराध में 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के अधिकार

पुलिस स्टेशन में

- FIR दिखाने जहाँ दिखाने वाले अधिकारी से उनके यौन अपराध अधिकारों के समर्थन, धन सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)



चिकित्सीय परीक्षण के दौरान

- विशेष अपराध/पीड़ित, चिकित्सीय परीक्षण आदि में शीघ्र और त्रुटिपूर्ण चिकित्सीय परीक्षण एवं उपचार प्राप्त करता
(धन 357(1) CrP धन 19(3) POCs धन 2020 के धन 4(3) (b) धन 6, धन 164, धन 164(5A) CrP, धन 24(3)(3) POCs धन 2020, धन 5 POCs धन 2020)
- चिकित्सीय परीक्षण हेतु सहमति देना या न देना
(धन 11 एवं 12 धन अनु 8, धन अधिनियम 2008 धन 2014 में धन अपराध के दौरान के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान धन 2014 में धन की नई विधिविधि)
- अपने चिकित्सीय परीक्षण के समर्थन प्राप्त करता
(धन अधिनियम 2008 धन 2014 में धन अपराध के दौरान के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान धन 2014 में धन की नई विधिविधि)



न्यायालय में

- नागरिक/शारीरिक नि:शस्त्र, या अन्य भागीदार की सहायता के लिए दिग्दर्शित (ट्रान्सलेटर), अनुवादक या विशेष प्रशिक्षक या विशेष प्रशिक्षक प्राप्त करता
(धन 154, 164, 164(5A) CrP, धन 24(3)(3), 38 POCs धन, धन 5 POCs धन 2020)
- द्वारा के दौरान बिजता, गोपनीयता तथा सम्मान
(धन 23, 37 POCs धन, धन 228A CrP धन 327 (3) & (3) CrP)



कार्य करवाय समिति के समर्थन

- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)
- चिकित्सा के दौरान अपने सहायक या अन्य ऐसे व्यक्ति दिखाने वाले अधिकारी को सहायक प्राप्त करता
(धन 154 CrP, धन 19 POCs धन 2020)



15100 विधिक सेवा प्राधिकरण एवं
हेल्पलाइन म.प्र. पुलिस आपके साथ



15100 विधिक सेवा प्राधिकरण एवं
हेल्पलाइन म.प्र. पुलिस आपके साथ



Celebrating International Women's Day

(08.03.2021)

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में दिनांक 08.03.2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समस्त जिला प्राधिकरणों द्वारा महिला एवं बालिकाओं के अधिकारों के संबंध में जनजागरूकता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें जिला प्राधिकरणों द्वारा अपने जिले की जेलों में महिला बंदियों की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके साथ ही महिला कानूनों के संबंध विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक किया गया।

इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में महिला से संबंधित कानूनों पर चर्चा की गई तथा कार्यालय में पदस्थ महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।



GLIMPSES FROM DLSAs



DLSA BURHANPUR



DLSA CHHATARPUR



DLSA DATIA



DLSA BHOPAL



DLSA KATNI



DLSA INDORE

Empowering Women through Legal Awareness Camps

DLSA DAMOH

DLSA Damoh organized a legal literacy camp on 06.03.2021 at **One Stop Center (Sakhi) District Damoh** in which the problems of the victims at One Stop Center Damoh were heard by the Secretary, District Legal Services Authority. Along with giving information about the Victim Compensation Scheme, free legal aid and Ayushman card, information was given about the National Lok Adalat and pamphlets were distributed related to the schemes. By the administrator of One Stop Center, Mrs. Poonabai Yadav, detailed information was given regarding domestic violence and legal rights related to women.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा ग्राम सुखाढ़ाना सारणी में महिलाओं को उनके अधिकारों एवं दायित्वों के संबंध में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर महिलाओं को प्राप्त अधिकारों, उनके दायित्वों, आयुष्मान कार्ड, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाईन नंबर, एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 01.03.2021 को सभागार कक्ष, जिला पंचायत देवास में महिला एवं बाल विकास विभाग देवास के सहयोग से महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला एवं विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट), अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर विस्तार रूप से जानकारी दी गई।



Special Efforts By DLSAs

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा थर्ड जेंडरों को कार्यालय में बुलाकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई। उनके द्वारा आधार कार्ड एवं पहचान पत्र संबंधी समस्या के बारे में अवगत कराया गया, जिसके तारतम्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को उनके आधार कार्ड बनवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। आधार कार्ड बन जाने के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के पहचान पत्र प्रमाणित कर जारी किये गये। वर्तमान में रतलाम जिले से 03 थर्ड जेंडरों के आधार कार्ड बन चुके हैं शेष थर्ड जेण्डर के आधार कार्ड बनाये जाने हेतु प्रक्रिया जारी है। संपूर्ण जिले में कुल 09 थर्ड जेंडर के पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट जारी किये गये हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में संबंधित 03 थर्ड जेंडर्स को उनके आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं सर्टिफिकेट जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा वितरित किये गये।

इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम की पहल से थर्ड जेण्डर को उनके पहचान पत्र जारी हुये। जिससे उन्हें एक सकारात्मक पहचान और समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो सकेगा।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल द्वारा पुलिस विभाग, वन विभाग, चिकित्सा विभाग एवं एन.एस.एस. के संयुक्त त्वाधान में शहीद श्री भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90 वीं पुण्यतिथि पर पुलिस सामुदायिक केन्द्र/अस्पताल शहडोल में रक्तदान एवं विधिक साक्षरता शिविर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सचिव, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर महाविद्यालय प्राचार्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में नालसा योजना के अंतर्गत एसिड अटैक से संबंधित जानकारी दी गयी। इस अवसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पुलिस बल, आम नागरिकगण एवं समाजसेवियों द्वारा रक्तदान किया गया।



DLSA DAMOH

DLSA Damoh organized a camp on 02.03.2021 in the Court Premises in coordination with Food Officers. In this camp, Secretary DLSA Damoh, DLAO and Food Officer were present along with chemist mobile food testing laboratory.

Secretary DLSA apprised the audience about provisions of Consumer Protection Act, Litigation Free Village Scheme, Family Dispute Resolution Center and National Lok Adalat. District Legal Aid Officer also gave information about maintenance provisions, mediation, domestic violence, MNREGA, job cards etc.



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ठाना आपकी सेहत – हमारी जिम्मेदारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के द्वारा जिला न्यायालय परिसर भिण्ड अभियोजन कार्यालय में मरीजों के लिए आपात चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया गया। अब न्याय की मांग के लिये भटकता कोई भी व्यक्ति अपने सेहत भी सुरक्षित रख सकेगा।



न्यायालय परिसर में स्थापित आपात चिकित्सा कक्ष
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः

Success Story

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा ग्राम माधौगढ़ जिला अशोकनगर के निवासी पीड़ित श्री गबरा एवं उनकी पत्नी श्रीमती शबीना बाई के बच्चे काजल, अनुपमा, निशांत एवं लक्ष्मी के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर के किसी प्राइवेट विद्यालय में संदिग्ध फंसे रहने की संभावना पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर को हस्तक्षेप कर वस्तुस्थिति जानने हेतु मौखिक निर्देश दिया गया था। जिससे फलस्वरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर ने उक्त विषय तत्काल सक्रिय भूमिका निभाई।

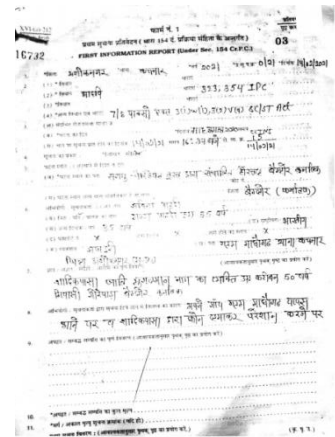


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी दिनांक 06.02.2021 को ग्राम माधौगढ़ जो कि पूर्णतः जनजातीय समुदाय का ग्राम है वहां पहुंचे तथा प्रारंभिक स्तर पर ग्राम वासियों से संपर्क स्थापित किया। तत्पश्चात् वहां के निवासियों के जीवन यापन हेतु अजीविका/रोजगार आदि के साधनों एवं उनके रहन-सहन, खान-पान, जीवन यापन की पद्धति, उनके कृषि व्यापार, व्यवसाय आदि की निर्भरता एवं उनका शासकीय विभागों में प्रतिनिधित्व आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।

समुदाय के लोगों द्वारा बताया गया कि वे एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक जिले से दूसरे जिले एवं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर छोटी-छोटी वस्तुओं जैसे-बच्चों के खिलौने, बैलून, गुलदस्ते आदि सामाग्री बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही कुछ व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनके पास शासन द्वारा आवंटित औसतन तीन से छह बीघा जमीन है, जिस पर वे कृषि कार्य करते हैं।

पारदी समाज में कच्ची शराब बनाने एवं शराब के सेवन की सामाजिक स्वीकार्यता के कारण संपूर्ण पारदी समाज नशे की चपेट में रहते हुये प्रतिदिन कमाकर अपना उदर-पोषण करती है, जिस कारण यह जनजाति विकास की मुख्य धारा से कोसो दूर है और इस जनजाति का शासकीय विभागों में प्रतिनिधित्व न के बराबर है और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी इस जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

माधौगढ़ ग्राम के संपर्क के दौरान ग्रामवासियों से चर्चा किये जाने पर ज्ञात हुआ कि पारदी समाज के कुछ निवासी जो आजीविका के उद्देश्य से कर्नाटक राज्य बेंगलोर में बैलून विक्रय के उद्देश्य से पहुंचे थे। वहां के किसी गिरोह द्वारा बच्चों की शिक्षा के नाम पर इस समाज के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला दिया साथ ही वे उन बच्चों को हीरो-हीरोइन, चिकित्सक, वकील, इंजीनियर बनाने का लोभ दिया जाता है। बच्चों की माताओं को वही



स्कूल में व्यवस्था के नाम पर रख लिया जाता है और उन्हें पक्का मकान का भी लालच दिया गया, किंतु गिरोह के द्वारा आवास के नाम पर कभी कुछ नहीं दिया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि उन बच्चों को उनके माता-पिता से न तो मिलने दिया जाता है और यदि उनके माता-पिता बच्चों से मिलने जाते हैं, साथ ही बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। उन बच्चों के समस्त दस्तावेज जैसे मार्कशीट, आधारकार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि अपने कब्जे में रख लिये हैं। वे समस्त दस्तावेज उनके माता-पिता को नहीं दिये जा रहे हैं और मांगे जाने पर मार-पीट करते हैं।

उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य, पुलिस अधीक्षक एवं पी.एल.व्ही आदि के सहयोग से लगातार ग्राम माधौगढ़ में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किये गये। माधौगढ़ की महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों के पुनः बयान लिये गये जिसमें उनके द्वारा उक्त संदिग्ध कार्य में बैंगलोर के निवासी श्री राजा एवं श्री पासा नाम के व्यक्ति संलिप्त होना बताया गया, यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि इन व्यक्तियों द्वारा पारदी समाज की महिलाओं, बच्चों एवं लड़कियों को बहला फुसलाकर बैंगलोर के प्राइवेट एमरिक स्कूल में एडमिशन कराया जाता था एवं उनके साथ आपराधिक कृत्य किया जाता था। ग्रामवासियों के उक्त कथनों के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर ने पुलिस विभाग से संपर्क स्थापित किया। उक्त घटना के संबंध में पुलिस विभाग ने समुचित जांच करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों के कथनों के आधार पर शादिक पासा पर आई.पी.सी की धारा 323, 354 आई.पी.सी एवं 7/8 पोक्सो एक्ट 3(i)(i), 3(2)(v)(q), SC/ST Act के तहत अपराध दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है।

द्वितीय चरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अशोकनगर द्वारा ग्राम माधौगढ़ में लगातार विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से संपर्क रखते हुये नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की संभावनाओं को तलाशते हुये समुदाय के चहुमुखी विकास की संभावना की ओर कदम बढ़ाया। फलस्वरूप ग्राम माधौगढ़ के जनसंख्या, शिक्षा, जीविका का साधन एवं जीवन स्तर की संख्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई।

तृतीय चरण में ग्राम माधौगढ़ में निवासरत जनजातिय समुदाय के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक राजनैतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु योजना तैयार की गई। जिसमें श्रम विभाग के समन्वय से ग्राम वासियों को लाभान्वित कराया जाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।



विलेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर हेतु माधौगढ़ का चयन

स्वतंत्र समय, अशोकनगर।

जिले के ग्राम माधौगढ़ को विलेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर के लिए चयन किया गया है। गांव के रहवासी आर्थिक नियंत्रण के कारण विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर हैं ऐसे गांव को विकास विहीन ग्राम बनने के डरेण से राज विधिक सेवा प्राधिकरण जबरपुर द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना के तहत जिला एवं सब ज्वाफपीन अतिरिक्त जिला के निदेशन में अपर जिला न्यायाधीश एंड्रेड सिंह ठाकुर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी वीरेंद्र कुमार चंदर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री ठाकुर ने शिविर में उपस्थित जनसमुदाय को नरो, अनायासे से दूर रहने को हथ उठाकर राख दिलाया। शिविर में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का



लाभ दिलाने एवं पूर्व से लीबल मायनों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करवाने और भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों का निराकरण विलेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर से कराने के उद्देश्य से लीगल एंड क्लीनिक के स्थापित करने हेतु पंचा लीगल कालेनर राजु पाटी को

निर्भर किया गया। इस दौरान डॉ वीरेंद्र चंदर द्वारा निम्नलिखित विधिक सहायता योजना अंतर्गत आने वाले अधिकारियों को विधिक जानकारी दी। शिविर में एएसआई इंदु पूरी गोखवाड़ी सहित बड़ी संख्या में पारदी समाज की समस्त महिलाएं, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं वेबिनार जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

(1)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 06.03.2021 को पुलिस विभाग एवं जन साहस सामाजिक सेवा संस्था देवास के सहयोग से महिलाओं एवं बालिकाओं पर होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम के विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में श्री सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं बालिकाओं को पोक्सो एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर विस्तार रूप से जानकारी दी गई। उक्त शिविर में चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश द्वारा भी उपस्थित लोगों को पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। उक्त शिविर में पुलिस अधीक्षक देवास, अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण सम्मिलित हुए।



(2)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा दिनांक 19.03.2021 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवास के सहयोग से पुलिस परेड ग्राउंड पुलिस लाइन देवास में प्रधान आरक्षक एवं सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए कर्मचारियों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधिक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा उपस्थित पुलिसकर्मियों को अन्वेषण तथा अभियोग पत्र में होने वाली सामान्य त्रुटियों, सावधानियों, परिवादी एवं अभियुक्तगण के विधिक अधिकारों, उन्हें दी जा सकने वाले विधिक सहायताओं, पोक्सो एक्ट, मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 18.03.2021 को स्थानीय नेचुरल रेसीडेंसी सभागार झाबुआ में महिला बाल विकास एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के संयुक्त तत्वाधान में महिला सुरक्षा एवं पोस्को एक्ट के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह-कार्यशाला तथा महिला सशक्तिकरण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला एवं शिविर में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015, नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015, नालसा की जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा, आदिवासियों के संरक्षण, महिलाओं के संरक्षण, भरण-पोषण कानून, महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल, मौलिक कर्तव्य, विधिक सहायता एवं सलाह योजना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम में लगभग 40 महिला एवं 60 पुरुष उपस्थित रहें।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंदसौर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा दिनांक 15 मार्च 2021 को होटल ऋतुवन, मंदसौर में उड़ान एवं जनसाहस संस्था के समन्वय से किशोरी बालिका कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशाला एवं तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, भरण-पोषण संबंधी प्रावधानों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों संबंधी योजना की जानकारी दी।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाजापुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा पैनल अधिवक्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा स्वयं सेवी संस्था जनसाहस के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों और मेन्टल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लेकर साक्षरता संगोष्ठी आयोजित की गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के बारे में उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं को जानकारी दी।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा आदिवासी बाहुल्य ग्राम खकनार जिला बुरहानपुर में समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर प्रशिक्षण/सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सेमिनार में पीड़ितों की पूरी बात सुनने, उनके प्रति संवेदनशीलता बनाये रखने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, मानव दुर्व्यवहार, बालकों का संरक्षण, एस.सी.एस.टी. एक्ट पर चर्चा कर नालसा व सालसा की योजनाओं के संबंध में अवगत कराया।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाईन (वर्चुअल) प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला जज द्वारा भारतीय साक्ष्य विधि में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता संबंधी उपबंध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में धारा 65बी के प्रमाण पत्र का महत्व, धारा 65बी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम व्यक्ति तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता गण सम्मिलित हुए।

पैनल अधिवक्ताओं को समझाए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता संबंधी उपबंध

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आयोजित किया ऑनलाईन प्रशिक्षण

गुना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा पैनल अधिवक्ताओं के लिए ऑनलाईन (वर्चुअल) प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिला जज द्वारा भारतीय साक्ष्य विधि में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता संबंधी उपबंध, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में धारा 65 बी के प्रमाण पत्र का महत्व, धारा 65बी का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

इसके अलावा श्री न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के नवीनतम न्याय दृष्टिगत यथा-सोनु जेठमर विरुद्ध हरिवर्ण राज्य, देवली राज्य विरुद्ध नवीनतम सभ्य उर्ध्वप्रकरण पुरुष, अनवर पीपी विरुद्ध पीके वसीर एवं अन्य, सैफी



मोहम्मद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य, अर्जुन पीछे राव खोटकर विरुद्ध कैलस कुशन राय, पंचत कुमार विरुद्ध विरुद्ध भारत राय, टीपोटा विरुद्ध दीपक मंगल आदि प्रकरणों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में की गई टिप्पणियों का उल्लेख भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा तथा आभार अपर जिला जज एके मिश्र द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता सुरेश चंद्र तोमर, अनजय कुमार जैन, हर्षवर्धन सिंह सिस्तीदिया, अरविन्द शर्मा, ज्योति चौहान, सलीमन्दर बेनीपाल सहित सभी पीपी, आईपी, एपीपी के नवनिर्वाचित पैनल अधिवक्ता प्रशिक्षण हेतु ऑनलाईन उपस्थित रहे।

शाला त्यागी बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स को ऑनलाईन प्रशिक्षण

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना

म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रदत्त आदेशानुसार 01 अप्रैल 2021 से चलाये जा रहे “शाला त्यागी बच्चों हेतु अभियान” अंतर्गत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा दिनांक 31 अप्रैल, 2021 को ऑनलाईन वर्चुअल माध्यम से जिला राजगढ़ एवं तहसील ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर, खिलचीपुर एवं जीरापुर में विभिन्न योजनाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु नवीन एवं नवीनीकृत पैरालीगल वालेंटियर्स को 01 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त अवसर पर उपस्थित तृतीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को शाला त्यागी बच्चों के संबंध में सहज व सरल शब्दों में व्याख्या की गई तथा उन्हें चिन्हित किये जाने हेतु जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा समस्त निर्देशों को ऑनलाईन उपस्थित समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को पढ़कर बताया गया व आगामी माह की 01 तारीख से शाला त्यागी बच्चों की जानकारी एकत्रित करने एवं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने हेतु प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।



विवाद विहीन ग्राम योजना

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा दिनांक 16.03.2021 को विवाद विहीन ग्राम मलपठार में विधिक जागरूकता/समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया ताकि ग्रामवासियों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा सके। उक्त विधिक जागरूकता एवं समस्या निवारण शिविर सचिव, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि अधिकारी, सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव, पी.एल.व्ही, एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला द्वारा चयनित विवाद विहीन ग्रामों में कृषकों के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि की मिट्टी का परीक्षण कर उन्हें स्वाईल कार्ड उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उपसंचालक कृषि विभाग को निर्देशित किया गया था। चयनित विवाद विहीन ग्रामों में सामान्यतः पीने के पानी की समस्या ग्रामीणों जानकारी दी गई थी, जिस हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डला को एवं अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु वन विभाग, राजस्व विभाग मण्डला को निर्देशित किया गया।

उक्त कार्यक्रम में कृषि विभाग द्वारा विवाद विहीन ग्राम मलपठार के 60 एवं विवाद विहीन ग्राम खुर्सीपार के 60 कृषकों की मिट्टी परीक्षण हेतु भूमि के सेम्पल लिए गए एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ कृषि के उन्नत तरीकों के संबंध में जानकारी दी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई) द्वारा पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु विवाद विहीन ग्राम मलपठार में नलकूप खनन के लिए भूमिगत जल का परीक्षण किया गया एवं शीघ्र ही ट्यूबवेल खनन किया जाकर ग्राम वासियों को नलजल परियोजना के माध्यम से घर-घर पानी पहुँचाने की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दी गई।

ग्राम मलपठार वनग्राम होने के कारण कार्य किये जाने के लिए वन विभाग से अनुमति हेतु स्थल पर उपस्थित सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया एवं उन्होंने अनुमति दिलाये जाने हेतु सहमति व्यक्त की।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीराजपुर द्वारा विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत ग्राम चौगनवाट में एसओपी अनुसार ग्राम पंचायत भवन पर मध्यस्थता, लोक अदालत एवं विवाद पूर्व मध्यस्थता आदि बिंदुओं के संबंध में जानकारी के उल्लेख वाला होर्डिंग स्थापित किया गया और वहां स्थापित लीगल एड क्लीनिक की मॉनिटरिंग की गई।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर द्वारा दिनांक 18 मार्च 2021 को जनपद पंचायत, जैसीनगर के अंतर्गत ग्राम महुआखेड़ा कला में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। अपराध मुक्त समाज की परिकल्पना सागर जिले के महुआखेड़ा कला गाँव में अवतरित हो रही है, इस गाँव के लोग बीते कई वर्षों से किसी भी विवाद को लेकर थाना, कचहरी नहीं गए हैं बल्कि यदि गांव में कोई विवाद होता है तो इस गाँव के लोग आपस में ही विवाद को आपसी सौझबूझ से चौपाल पर ही निपटा लेते हैं। जब यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर को प्राप्त हुई तब ऐसे ग्रामों के द्वारा अन्य ग्रामों को विवाद रहित बनाने हेतु प्रेरित करने व अन्य ग्राम भी प्रेरित हों इस उद्देश्य से विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।





Activities Report (Month- March 2021)

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
24	5

-----XXX-----

न्याय सब के लिए

